राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/ 1743 दिनांक 15/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व वाद सं. 272/2016 अनवान लाखाराम वगैरा बनाम लुम्बाराम वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 14.7.17 को पारित किया गया है।। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.***

अनवान

वादीगण :– 1.लाखाराम 2.रूखमणराम 3.धन्नाराम पि. शिवजीराम
जाति जाट, निवासी पोकरासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगणः– 1. लुम्बाराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट, निवासी पोकरासर
2.रूपाराम 3.ठाकराराम पि.सेराराम 4.गवरी बेवा सेराराम 5.उदाराम 6.धुड़ाराम पि.गोरधनरा
7.राउदेवी पत्नि गोरधनराम 8.हडुमानराम 9.ठाकराराम 10.तोगाराम पि.मूलाराम
11.धापू बेवा मूलाराम, जाति जाट, निवासी पोकरासर, तहसील चौहटन
12.तहसीलदार चौहटन।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

वाद बाबत 88 RT Act.

मुकदमा नं. 272/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री नरेश भादू** एड. उपस्थित मिनजानिब मुदाई व ..... एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम पोकरासर, तहसील चौहटन के खसरा सं. 446 रकबा 76.17 बीघा एवं खसरा सं. 494 रकबा 51.04 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण के भाई प्रतिवादी सं. 1 के लापता होने से उसके हिस्से की भूमि तथा वादीगण के हिस्से की भूमि अनुसार वादीगण को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार चौहटन को आदेश दिया जाता है, कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।** .....
..... बीज ..... मबलिग ..... बाबत ..... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 4.7.17 को जारी की गई।

दस्तखत .....

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुहर ओहदा .....

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे ..... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 272/2016

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण :– 1.लाखाराम 2.रूखमणराम 3.धन्नाराम पि. शिवजीराम
जाति जाट, निवासी पोकरासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगणः– 1. लुम्बाराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट, निवासी पोकरासर
2.रूपाराम 3.ठाकराराम पि.सेराराम 4.गवरी बेवा सेराराम 5.उदाराम 6.धुड़ाराम पि.गोरधनरा
7.राउदेवी पत्नि गोरधनराम 8.हडुमानराम 9.ठाकराराम 10.तोगाराम पि.मूलाराम
11.धापू बेवा मूलाराम, जाति जाट, निवासी पोकरासर, तहसील चौहटन
12.तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री नरेश भादू**
प्रतिवादीगण वकील –

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ.

निर्णय

दिनांक :–14/7/17

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 से 11 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा पोकरासर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 446 रकबा 76.17 बीघा, खसरा सं. 494 रकबा 51.04 बीघा का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के पिता शिवजी के नाम से खातेदारी रेकर्ड में दर्ज थ। शिवजी के फौत होने पर शिवजी के पुत्रों वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 36 दिनांक 21.08.1976 को दर्ज किया गया। तत्पश्चात वादीगण का भाई प्रतिवादी सं. 1 आज से करीब 30 वर्ष पूर्व कहीं चला गया, जो आजदिन तक लापता है। प्रतिवादी सं. 1 वक्त लापता अविवाहित था, इस कारण प्रथम श्रेणी कोई वारिश नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 के द्वितीय सूची के वारिशान वादीगण जो प्रतिवादी सं. 1 के सगे भाई है, ही है। विधि की मंशा के अनुसार किसी व्यक्ति के लगातार 7 वर्ष तक लापता होने से उसकी सिविल मृत्यू होना मान लिया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 के उतराधिकारी वादीगण होने से प्रतिवादी सं. 1 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को विलोपित करवाकर उसके स्थान पर वादीगण के पक्ष में खातेदारी घोषणा करवाकर अपना नाम प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। जिस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया गया। पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प 2017 नेतराड़ में पेश हुई। वादीगण उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं. 2, 5, 8 उपस्थित हुए। वादग्रस्त खसरों की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 वादी लाखाराम, रूखमणराम, धनाराम के बयान कलमबद्ध करवाये गये। पी. डब्ल्यू.2 रूपाराम पुत्र शेराराम जाति जाट, पी.डब्ल्यू.3 हनुमानराम पुत्र मूलाराम जाति जाट तथा पी. डब्ल्यू. 4 सरपंच पोकरासर के बयान कमलबद्ध करवाये गये।

सहायक कलक्टर,
(SDO) चौहटन

वादीगण ने अपने बयान में स्वीकार किया कि हम चार सगे भाई है। जिसमें हमारा भाई प्रतिवादी सं. 4 पिछले लगभग 30 वर्षो से लापता है। लुम्बा अविवाहित था। यह बात सही है कि अब उसके आने की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में हमारे पिता का 1/4 हिस्सा से हम वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा बनता है। जिसमें हमारे भाई प्रतिवादी सं. 1 के लापता होने से उसका 1/16 हिस्सा हम वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जावे। हमारा भाई भविष्य में कभी भी वापस आ जाता है तो उसके हिस्से की भूमि हम वापिस देने के लिए पाबन्द रहेंगे। उसके हिस्से की भूमि को बेचान एवं खुर्द बुर्द नहीं करेंगे तथा भाई वापिस आने की स्थिति में किसी भी न्यायालय में वाद विवाद नहीं करेंगे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प चौहटन में दिनांक 14/7/17 को पेश हुई। वादग्रस्त खसरान के संबंध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश समस्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं. 1 लुम्बाराम पुत्र शिवजी पिछले कई वर्षो से लापता है तथा खसरा सं. 446 व 494 में पिछले 40 वर्षो से लुम्बाराम का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पोकरासर, तहसील चौहटन के खसरा सं. 446 रकबा 76.17 बीघा एवं खसरा सं. 494 रकबा 51.04 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण के भाई प्रतिवादी सं. 1 के लापता होने से उसके हिस्से की भूमि तथा वादीगण के हिस्से की भूमि अनुसार वादीगण को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/7/17 को न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प चौहटन में सुनवाया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन